भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3087

दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

वन स्टॉप सेंटर

3087. डॉ. निशिकान्त दुबे:
डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:
श्री के. सुधाकरन:
श्री विष्णु दयाल राम:

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वन स्टॉप सेंटर योजना के अंतर्गत देश में अब तक कितने केंद्र स्थापित किए गए हैं और इन केंद्रों से राज्य-वार कितनी महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) उक्त केंद्रों में महिलाओं को प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से देश में महिलाओं से संबंधित कितने मामले दर्ज किए गए हैं और किन-किन राज्यों में अधिकतम मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान ओएससी के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उनके उपयोग की प्रतिशतता कितनी है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) और (ख): वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल घटक का एक भाग है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित और कार्यशील वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) और इस योजना के आरंभ से लेकर दिनांक 31.10.2024 तक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): पिछले दो वर्षों के दौरान ओएससी में महिलाओं से संबंधित पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का विवरण **अनुलग्नक-II** में दर्शाया गया है।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी की गई तथा उपयोग की गई निधि के प्रतिशत का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

*****

अनुलग्रक- I

"वन स्टॉप सेंटर" के संबंध में डॉ. निशिकान्त दुबे, डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी, श्री के. सुधाकरन और श्री विष्णु दयाल राम द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोकसभा में स्वीकृत अतारांकित प्रश्न संख्या 3087 के भाग (क) और (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत और कार्यशील ओएससी का विवरण तथा योजना केआरंभ से लेकर अक्टूबर 2024 तक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की कुल संख्या

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत ओएससी की संख्या**	**कार्यशील ओएससी की संख्या**	**योजना के आरंभ से लेकर अक्टूबर 2024 तक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की कुल संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	3	2,006
2	आंध्र प्रदेश	26	26	42,437
3	अरुणाचल प्रदेश	25	25	2,295
4	असम	36	36	23,917
5	बिहार	50	39	40,469
6	चंडीगढ़	1	1	1,682
7	छत्तीसगढ़	35	27	45,965
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3	3	1,235
9	दिल्ली	11	11	21,120
10	गोवा	2	2	7,051
11	गुजरात	35	35	38,468
12	हरियाणा	22	22	44,478
13	हिमाचल प्रदेश	13	12	3,376
14	जम्मू और कश्मीर	20	20	12,581
15	झारखंड	31	24	5,115
16	कर्नाटक	40	39	28,073
17	केरल	14	14	20,620
18	लद्दाख	2	2	79
19	लक्षद्वीप*	1	1	0
20	मध्य प्रदेश	65	57	1,04,072
21	महाराष्ट्र	45	45	33,698

22	मणिपुर	16	16	1,746
23	मेघालय	12	12	4,004
24	मिजोरम	13	11	1,872
25	नागालैंड	16	11	1,394
26	ओडिशा	30	30	21,891
27	पुदुचेरी	4	4	465
28	पंजाब	23	23	19,566
29	राजस्थान	51	37	47,837
30	सिक्किम	6	6	1,637
31	तमिलनाडु	49	48	96,173
32	तेलंगाना	36	36	68,310
33	त्रिपुरा	8	8	828
34	उत्तर प्रदेश	96	79	2,54,873
35	उत्तराखंड	14	14	8,485
36	पश्चिम बंगाल	24	23	4,541
	कुल	**878**	**802**	**10,12,359**

लक्षद्वीप ने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं।

अनुलग्नक- II

"वन स्टॉप सेंटर" के संबंध में डॉ. निशिकान्त दुबे, डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी, श्री के. सुधाकरन और श्री विष्णु दयाल राम द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोकसभा में स्वीकृत अतारांकित प्रश्न संख्या 3087 के भाग (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले दो वर्षों के दौरान वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) में महिलाओं से संबंधित पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24	2024-25	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	133	90	223
2	आंध्र प्रदेश	2,993	1,862	4,855
3	अरुणाचल प्रदेश	293	307	600
4	असम	5,714	4,652	10,366
5	बिहार	7,376	5,512	12,888
6	चंडीगढ़	329	235	564
7	छत्तीसगढ़	5,889	3,781	9,670
8	दिल्ली	6,945	3,963	10,908
9	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	90	106	196
10	गोवा	611	332	943
11	गुजरात	7,158	4,183	11,341
12	हरियाणा	7,932	8,954	16,886
13	हिमाचल प्रदेश	1,007	1,241	2,248
14	जम्मू और कश्मीर	2,374	2,263	4,637
15	झारखंड	1,683	908	2,591
16	कर्नाटक	6,997	4,798	11,795
17	केरल	4,137	2,379	6,516
18	लद्दाख -संघ राज्य क्षेत्र	17	16	33
19	लक्षद्वीप*	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	19,868	13,785	33,653
21	महाराष्ट्र	9,894	4,412	14,306
22	मणिपुर	411	256	667
23	मेघालय	771	718	1,489
24	मिजोरम	366	697	1,063

25	नागालैंड	186	157	343
26	ओडिशा *	0	0	0
27	पुदुचेरी	36	24	60
28	पंजाब	3,315	3,312	6,627
29	राजस्थान	6,591	4,692	11,283
30	सिक्किम	367	300	667
31	तमिलनाडु	23,661	22,281	45,942
32	तेलंगाना	11,674	6,868	18,542
33	त्रिपुरा	414	151	565
34	उत्तर प्रदेश	**33,774**	**23,261**	**57,035**
35	उत्तराखंड	578	1,389	1,967
36	पश्चिम बंगाल	2,163	2,050	4,213
	कुल	**1,75,747**	**1,29,935**	**3,05,682**

* लक्षद्वीप और ओडिशा ने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं।

अनुलग्नक- III

"वन स्टॉप सेंटर" के संबंध में डॉ. निशिकान्त दुबे, डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी, श्री के. सुधाकरन और श्री विष्णु दयाल राम द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोकसभा में स्वीकृत अतारांकित प्रश्न संख्या 3087 के भाग (घ) में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी की गई निधि का ब्यौरा तथा उपयोग की गई निधि का प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य	2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी की गई निधि	**उपयोग की गई निधि का प्रतिशत**	**जारी की गई निधि**	**उपयोग की गई निधि का प्रतिशत**	**जारी की गई निधि**	**उपयोग की गई निधि का प्रतिशत**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	58.22	44%	15.2	29%	135.99	यूसीएनआर
2	आंध्र प्रदेश	249.57	79%	72.96	45%	605.58	69%
3	अरुणाचल प्रदेश	369.45	5%	40.39	यूसीएनआर	847.7	54%
4	असम	650.63	183%	129.61	396%	1755.48	73%
5	बिहार	555.17	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर
6	चंडीगढ़	15	200%	49.22	यूसीएनआर	16.8	यूसीएनआर
7	छत्तीसगढ़	526.86	90%	304.63	25%	882.44	61%
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	50.39	यूसीएनआर
9	दिल्ली	184.69	121%	138.56	यूसीएनआर	184.78	120%
10	गोवा	30.01	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर
11	गुजरात	997.46	64%	386.76	127%	1166.26	66%
12	हरियाणा	385.35	96%	186.75	35%	594.68	78%

13	हिमाचल प्रदेश	180.05	83%	18.9	1338%	403.15	97%
14	जम्मू और कश्मीर	323.09	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	335.96	106%
15	झारखंड	506.78	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर
16	कर्नाटक	513.88	148%	130.88	467%	1054.13	23%
17	केरल	234.41	94%	139.28	82%	0	यूसीएनआर
18	लद्दाख - संघ राज्य क्षेत्र	30.01	41%	0	यूसीएनआर	33.6	यूसीएनआर
19	लक्षद्वीप	15	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	16.8	यूसीएनआर
20	मध्य प्रदेश	921.41	55%	261.55	126%	820.48	137%
21	महाराष्ट्र	561.35	यूसीएनआर	69.37	470%	1539.69	80%
22	मणिपुर	396.59	191%	543.29	यूसीएनआर	268.77	88%
23	मेघालय	276.22	97%	232.77	4%	321.56	95%
24	मिजोरम	280.33	85%	178.05	यूसीएनआर	283.45	104%
25	नागालैंड	528.92	101%	197.41	यूसीएनआर	545.83	63%
26	ओडिशा	739.31	115%	614.67	39%	1084.95	71%
27	पुदुचेरी	67.24	यूसीएनआर	18.25	7%	0	यूसीएनआर
28	पंजाब	385.31	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर	389.01	131%
29	राजस्थान	941.85	33%	129.59	51%	883.59	101%
30	सिक्किम	80.8	72%	77.48	यूसीएनआर	126.09	61%
31	तमिलनाडु	520.38	135%	697.43	48%	1158.88	85%
32	तेलंगाना	945.98	102%	1392.65	यूसीएनआर	1217.41	81%
33	त्रिपुरा	135.75	यूसीएनआर	18.21	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर
34	उत्तर प्रदेश	1396.79	यूसीएनआर	347	210%	1812.71	113%
35	उत्तराखंड	263.17	यूसीएनआर	153.33	9%	436.75	49%
36	पश्चिम बंगाल	227.32	यूसीएनआर	28.41	यूसीएनआर	0	यूसीएनआर
	कुल	**14,494.34**		**6,572.61**		**18,972.9**	

नोट: 100% से अधिक उपयोग पिछले वर्षों के दौरान जारी अनुदान के उपयोग के कारण है।

यूसीएनआर – उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ

*****